JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय आन्दोलन एवं राजनीति में महिलाओं की भूमिका: वर्तमान समय में बढ़ती सक्रियता

डॉ० सुशीला
(असिस्टेंट प्रोफेसर)
स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ

शोध सारांश

भारतीय समाज में विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है; उसके वर्तमान रूप को दर्शाने के लिए अतीत की श्रृंखला से जोड़ना अति आवश्यक हैं। जिसे महिलाओं की महत्वाकांक्षा के बारे में पूर्णता व प्रतीत होता हैं। भारतीय संस्कृति में नारी सदा ही शक्ति का प्रतीक मानी जाती रही है। **''यत्रा नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तन्त्रा देवता''** भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, जहाँ नारी को समुचित सम्मान मिलता रहा है। वैदिककाल से लेकर आधुनिक काल तक या फिर 19वीं शताब्दी की स्वाधीन संग्राम में महिलाओं ने 'नारीशक्ति' के विभिन्न रूप से समाज को नई दिशा व दशा दी। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ अन्तर–संसदीय संघ जिसका भारत भी एक सदस्य है, द्वारा संकलित आकड़ों के अनुसार विश्वभर की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.44 प्रतिशत है। भारतीय चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021 तक महिलाएँ संसद के कुल सदस्यों के 10.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व कर रही है। देखा जाए राजनैतिक स्तर पर भारत के सभी राज्यों की विधान सभाओं, विधान परिषदों, व ससंद में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता आज भी ज्यादा बेहतर नही है। अनुमानित के आधार पर मात्र 9 प्रतिशत आंकड़े तक ही पहुँच पाई है। स्वाधीनता से पूर्व एवं पश्चात् भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत में विकास के कारण बढ़ोत्तरी आवश्यक हुई है। महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को लेकर सुधार के लिए बढ़े स्तर पर अनेकों प्रयास हुए है, सबसे पहले लैगिंक समानता को लेकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक से सम्बन्धित सिद्धान्तों को वर्णित किया गया है।

बीजक शब्द :– महिलाएँ, प्रतिनिधित्व, चुनाव आयोग, संसदीय, राज्य विधानसभा, संविधान, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार एवं सहभागिकता।

प्रस्तावना :–

भारतीय राजनीति में प्राचीनकाल से ही महिलाओं की राजनीति में सक्रियता देखी गयी। समय के परिवर्तन के साथ–साथ राजनीति दलों में महिलाओं की भूमिका विस्तृत हुई है। वर्तमान दौर में भी भारतीय राजनीति में महिलाएं अग्रणी रही है। इन्दिरा गांधी (प्रथम महिला प्रधानमंत्री) ने स्व० पं० जवाहर लाल नहेरू के प्रधानमंत्री पद पर निधन पश्चात् राजनीति में प्रभावशाली एवं सुदृता का प्रतीक रही है; उनकी प्रधानमंत्री पर अहम भूमिका थी। वर्तमान राजनीति से जुड़ी हुई

महिलाओं में सोनिया गांधी जो की भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर शख्सियतों में एक मानी जाती है। सन् 1996 में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने में सोनिया गांधी ने भूमिका निभाई है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक है। सुषमा स्वराज के वाक कला से विपक्षी भी कायल हो जाते है।

लोकसभा स्पीकर श्रीमति सुमित्रा महाजन भारतीय राजनीति में एक ऐसी ताकतवर महिला है। जिनकी सादगी और सच्चाई ही उनकी ईमानदारी है।

दलित वर्ग से आने वाली प्रथम ऐसी महिला सुश्री मयावती जो राजनीति के क्षेत्र में भी दलितों के अधिकारों के लिए एक ढाल बनकर खड़ी है। ये उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की बड़ी राजनेताओं मे से एक है। अपनी सादगी में मशहूर ममता जी एनडीए की सरकार में रेल मंत्री भी रह चुकी है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जय ललिता भी देश की राजनीति में आने से पहले वो एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी और उन्होंने तमिल, तेलगू कन्नड़ की फिल्मों के अलावा हिन्दी फिल्मों में भी काम किया।

श्रीमति वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। सन् 1987 में वसुंधरा राजस्थान बीजेपी की उपाध्यक्ष है। सन् 1998–1999 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रीमंडल में विदेश राज्यमंत्री रह चुकी है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिव पार्टी से (पीडीपी) महबूबा मुफ्ती (मुस्लिम महिला) जम्मू कश्मीर की 13 वीं मुख्यमंत्री रही थी।

प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पूर्व राष्ट्रपति 2007 में पहली महिला राष्ट्रपति रही है।

भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी प्रौगेतिहासिक काल से रही है। उस समय भारतीय समाज मातृसत्तात्मक था। जब सामाजिक व्यवस्था केवल कबीले तक ही सीमित थी उस समय कबीलों की मुखिया महिलाएँ होती थी। देखा जाए आज भी कहीं–कहीं कुछ आदिवासी समाज में स्त्रीयों की प्रमुखता परिवारों में देखी जा सकती है। वैदिक सभ्यता भले ही पुरूष प्रधान रही पर स्त्रियों के लिए शासकीय सेनानी, राज्य सलाहकार व मंत्राणी, विदुषी, समाज–नेत्री, पुरोहित इत्यादि सभी रूपों में, राजनीतिक स्तर पर उनका उल्लेख मिलता रहा है। वर्तमान समय में हम वैदिक ग्रन्थों से लेकर संविधान से शासन के संचालन तक का सफर तय कर चुके है। जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये जा चुके है। महिलाएँ भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों की प्राप्त के लिए संघर्षशील बनी हुई है। ताकि राजनीति स्तर पर अपनी पेठ मजबूत बना सके। इन महिलाओं को अधिकारों की प्राप्त कर इनका क्रियान्वियन करना एवं महिलाओं को सशक्त बनाने में सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पहल की जा रही है। ताकि नारी शक्ति को ओर अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया जा सके। अनेक नीतियाँ एवं कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की राजनीति में सहभागिकता को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि महिलाएँ अपने अधिकारों

के प्रति जागरूक और राजनैतिक स्तर पर सशक्त बना सके। महिलाओं के विकास के लिए न केवल आवश्यक है। बल्कि उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना भी सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनीति में महिलाओं की सहभागिकता के बिना कोई भी देश राष्ट्र विकास के पक्ष पर प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में उनकी सहभागिकता उतनी ही आवश्यक है जितना उनके अधिकारों के प्रति उनका जागरूक होना।

अन्त संसदीय संघ (Inter-Partiamentary Union-IPU) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जिसमें भारतीय महिलाओं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया गया है। सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला कि भारतीय महिलाओं का राजनीति में सहभागिकता उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उच्च वर्ग से आनेवाली महिलाएँ (जाति) उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही उनकी राजनीति व्यवस्था में सहभागिता एवं भागीदारी भी आसान होती है। "In Patitices and bureaucracy, women are severly Under-represented" लेख पर आधारित है। इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दों और उनके समाधान के तरीको के बारे में चर्चा की गयी है। ''यह एडिटोरियल 13/02/2023 को 'इण्डियन एक्सप्रेस', में प्रकाशित।''

इस सर्वेक्षण में पाया 71 प्रतिशत महिलाओं ने विभिन्न संसाधनों के माध्यम से राजनीतिक समाचारों को पढ़ने में इन संसाधनों के माध्यम से ही महिलाओं की राजनीति के प्रतिरूचि प्रदर्शित होती है। इसमें मीडिया, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया व्हाटसएप्प इत्यादि शामिल है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज, में पढ़ने वाली महिला, अविवाहित तथा शहरी महिलाओं में अशिक्षित एवं ग्रामीण महिला की तुलना में राजनीति सक्रियता ज्यादा स्पष्टत दिखाई पड़ती है।

अतः महिलाओं की राजनीति में सहभागिकता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम रही है; जिसको बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों एवं पहलुओं का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। राजनीति एवं अन्य विषयों में संबंधित निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया द्वारा भी अहम फैसले लेने में मदद ली जा सके।

राजनीतिक सत्ता में शक्ति 'केन्द्रीय' होती है जिस पर आसीन कोई भी व्यक्ति या महिला समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता रख सकते हैं। देखा जाए वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं की राजनीति में सहभागिकता बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। महिलाएँ विश्व की लगभग आधी आबादी के हिस्से में आती है, लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिकता बहुत ही कम है। आज भी उन्हें राष्ट्रीय संसद एवं भारतीय राजनीति में मात्र 50 प्रतिशत भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। इस समस्या पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई सम्मेलन एवं चर्चाओं के लिए विषय बना हुआ है। ताकि महिलाओं या पुरूषों का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना आवश्यक है। इसके लिए कुछ पहलुओं पर नजर डाली गयी।

सर्वप्रथम, महिलाओं के लिए राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा क्या होनी चाहिए। द्वितीय, राजनीति क्षेत्र में केवल राजनीति दल की सदस्यता प्राप्त करना ही वरन महिला पुरूष के राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर महिला में

राजनीति के प्रति रूचि होनी आवश्यक हो। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व के रूप में जनमत का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो गया समाज में कुछ नया करने के लिए महिलाओं की महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है। एक समय था जब भारतीय नारी ''स्त्री प्रथा, बाल विवाह एवं हत्या'' जैसी क्रूर प्रथाओं की शिकार थी लेकिन आज महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक कानूनी प्रावधान है, किन्तु आज भी अधिकांश महिलाएँ अपने अधिकारों संबंधित कानूनों और व्यवस्था से प्रायः अनभिज्ञ रहती है। ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं में कानूनी अज्ञानता ओर भी अधिक व्याप्त है। भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कई कानून बनाए गये है। जिसका मकसद समाज में महिलाओं को बराबर का हक दिलाना ताकि उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके। स्वाधीनता के पश्चात से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका

भारतीय समाज में विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है उसके वर्तमान स्वरूप को दर्शाने के लिये अतीत की श्रृंखला में जोड़ना आवश्यक प्रतीत होता है। जिसे महिलाओं की महत्वाकांक्षा के बारे में पूर्णता होता है अतः भारतीय नारी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए उसके जीवन से संबंद्ध प्रत्येक पहलू पर उसकी बौद्धिक स्थिति से विचार करते हुए वर्तमान परिस्थिति तक उत्थान पतन तक समग्र परिप्रेक्ष्य में चिंतन का प्रयास किया गया है।

प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही भारतीय महिलाएँ राजनीति से परिचित होने लगी। उस समय कुछ महिलाओं द्वारा राजनीतिक संगठन भी बनाए गए थे और कुछ महिलाएं नेताओं के रूप में पहचानी जाने लगी तथा कुछ राजनीतिक संगठनों ऐसे भी थे जिनमें महिलाओं की सहभागिकता के कारण कांग्रेस के लिए अपने आन्दोलनकारी कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त कर सकी। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी को पूर्णतः आवश्यक बनाया था। उनका मानना था कि महिलाओं की सभाओं और भाषणों के दौरान आन्दोलन में उनकी भागीदारी अनिवार्य थी। उन्होंने महिलाओं को यह कहकर प्रेरित किया कि **''देवियों और वीरांगनाओं की तरह आन्दोलन में उनकी अपनी अलग भूमिका है और उनमें इस भूमिका को निभाने की शक्ति और हिम्मत भी है।''** उन्होंने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि आन्दोलन को उनके महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है।

भारत में सामाजिक पुनर्जागरण काल और राजनीतिक चेतना का विकास साथ–साथ मानते है कि सामाजिक पुनर्जागरण और नारी का मुक्ति–संघर्ष 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक साथ तब हुआ, जब बंगाल में ब्रह्म समाज के संस्थापक, राजाराम मोहन राय, बम्बई में प्रार्थना समाज के संस्थापक श्री महादेव गोविद रानाडे और उत्तर–पश्चिम भारत में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सामाजिक सुधारों संबंध स्त्री उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सन् 1897 के स्वतंत्रता संग्राम एवं सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना दिखाई पड़ी। राजनीति के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से मानी जाती है। 20वीं सदी के प्रथम दशक में कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1917 में वर्ष भारतीय महिलाओं की राजनीतिक के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण मानना गया। जिसमें महिलाएं ने एक साथ कई दिशाओं में कदम रखा।

इस प्रकार महिलाओं को आन्दोलन से भाग लेने के लिए न केवल महिलाओं के विश्वास जगाने में सफल हुए, बल्कि महिलाओं के पुरूषों संरक्षकों पति, पिता, पुत्र भाइयों का विश्वास भी प्राप्त कर पाए। यही कारण था कि महिलाओं द्वारा बाहर आकर राजनीति के क्षेत्र में अपनी सक्रियता दिखाई उनके परिवार के पुरूष सदस्य उनकी सुरक्षा के बारे में निश्चित रहते थे।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त के बाद जब स्व–शासन की मांग उठाई गई तो ब्रिटिश सरकार ने सन् 1919 में रौलट एक्ट कानून पास किया उस समय सही मायने में स्त्रियों की व्यापक सहभागिकता इस कानून के बाद ही शुरू हुई। सर्वप्रथम अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम भारतीय महिला जुलाई 1919 में सरोजनी नायडू, ''होमरूल लीग', की प्रतिनिधि बनकर इग्लैण्ड गई। तब उन्होंने लंदन में **'किग्सवे हॉल'** में आयोजित **''जलियावाला बाग हत्या कांड''** पर ऐसा निर्भीक तथ्य पर पूर्णतः भाषण दिया जिसे सुनकर सारे संसार की आंखे खुल गई और श्रीमति नायडू की अद्भुत वाक कला की धाक जग गई।

इसी सिलसिलें में **श्रीमति चरण देवी** और **भाग्यवदी** ने लाहौर जमाना जेल में एक वर्ष की सजा काटी लाहौर में **सरला देवी चौधरी** ने रातोरात पोस्टर व पर्चें छपवाए, बांटे और दीवारों पर लगवाए। स्वदेशी आन्दोलन की तरह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में बंगाल की महिलाओं ने सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई : **देशबंधु चितरंजन दास** की पत्नि **श्रीमति बंसती देवी** और उनकी बहन **उर्मिला देवी** की अगुवाई में स्त्रियों ने खादी बेची और गैर–कानूनी सभाएं आयोजित करके गिरफ्तारियाँ दी। मुम्बई में महिलाओं ने **''राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन''** किया जो पूरी तरह राष्ट्रीय सक्रियता के लिए समर्पित था। यह पहला महिला संगठन था जो बिना पुरूषों की मदद के चलाया जाता था। राष्ट्रीय सभा की सदस्यों ने पूरे मुबई शहर में खादी का प्रचार किया। उन्होंने नवम्बर 1921 में **'प्रिस ऑफ वेल्स'** की भारत यात्रा के विरोध में पूरे मुबई शहर मे हड़ताल आयोजित की। गुजरात में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में देड़ा बहन, डाही बहन, भक्तिबा, मिट्ठू बहन होरमस जी आदि महिलाओं ने सत्याग्रह–कार्यक्रमों का संचालन किया। सरलादेवी साराभाई हर गतिविधि में गांधी जी के साथ थी और उरकी बेटी मुदृला साराभाई स्वयं सेविकाओं के संगठन में जुटी थी। जब **प० जवाहर लाल नेहरू** जेल में थे उनकी पत्नि **कमला नेहरू** कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद भी जुलूसों का नेतृत्व कर रही थी। वहीं पंजाब में

लाला लाजपत राय की **पत्नी राधा देवी, अली बंधुओं की मां, बी अमन, पार्वती देवी लाड़ो रानी, जुत्शी, तारा देवी, पूरनी देवी, शाम देवी** आदि महिलाएँ अग्रणी रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रहकर कार्य कर रही थी।

मध्यप्रान्त में अनुसूमां बाई, काले महिला, जागरण और बहिष्कार आन्दोलन दोनों में सक्रिय थी। वहीं प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी जोशीली और मार्मिक कविताओं **'खुब लड़ी मर्दानी'** और **'जलियावाला बाग में बसंत'** से आन्दोलनकारी युवक–युवतियों में प्रेरणा भर रही थी।

दक्षिण भारत की महिलाएं **लीलाबाई सब्रमण्यम, लक्ष्मीबाई संगम, मुन्तलक्ष्मी रेड्डी, अम्मू स्वामीनाथ, कामेश्वरमा, कुप्पा स्वामी** आदि जो अभी तक सामाजिक क्षेत्र में ही सक्रिय थी, बहिष्कार आन्दोलन के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कूद पड़ी और **'देश सेविका संघ'** की स्थापना की। इसका परिणाम सन् 1921 के कांग्रेस अधिवेशन मं 145 महिलाएँ प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुई। जिसमें 131 महिलाएं स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता थी और 14 महिलाएँ विभिन्न समितियों की सदस्य थी। सन् 1923 में काकीनाड़ा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व एक 12 वर्षीय बालिका दुर्गाबाई ने स्थानीय देवदासियों की गांधी से मिलने पर 5000रू की व्यवस्था कर सभा का आयोजन करवाय।

इस प्रकार देखा जाए सन् 1921 में स्त्रियों द्वारा की गई सीमित भूमिका के विपरीत स्त्रियों ने एक सक्रिय भूमिका का निर्वाहन किया। असहयोग आन्दोलन और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बीच के काल में भी महिला भागीदारी में कोई कमी नहीं आई। इस समय तक सरोजनी नायडू एक प्रमुख राष्ट्रीय नेत्री के रूप में उभर चुकी थी। इस सम्मानजनक पद पर आसीन होने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। इससे महिलाओं की गतिविधियो में तेजी आई और सन् 1925 में साउथ कनाड़ा से कमला देवी चट्टोपध्याय ने प्रथम बार चुनाव भी लड़ा। यह घटना भारतीय महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों के इतिहास का अगला मोड़ साबित हुई और उसी सन् **1926 में श्रीमति मुतुलक्ष्मी रेड्डी** भारत की पहली महिला विधायिका के रूप में मद्रास विधान सभा में पहुँची और उपाध्यक्ष बनी। इसी दौरान अखिल भारतीय स्तर पर महिला संगठनों के निर्माण या गठन का दौर शुरू हुआ, जिन्होंने राष्ट्रवाद के साथ–साथ महिला प्रश्नों को भी आगे बढ़ाया। सन् 1928 के साइमन कमीशन, बहिष्कार आन्दोलन में भी महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया, पंजाब से राधादेवी पार्वती देवी, लाडो रानी, जुत्थी आदि पूर्व नेत्रियों के अलावा कुछ नए नाम भी उभरे जैसे आत्मा देवी, करतार देवी, राजकुमारी अमृतकौर आदि।

स्वतंत्रता संग्राम में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं में, रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा अरूणा आसफ अली, सरोजनीनायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी, पण्डित, इन्दिरा गांधी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में नंदिनी सत्यथी मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, राजमाता विजय सिंधिया, वंसुधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुका चौधरी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, स्मृति ईरानी आदि ने सक्रियता दिखाई है।

सन् 1927 में स्थापित **'गैर राजनीतिक संगठन' 'ऑल इण्डिया वूमेंस कॉन्फ्रेंस'** ने स्त्रियों में सामाजिक सुधारों के साथ राजनीतिक जाग्रति लाने की दिशा में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए जमकर संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की।

सन् 1937 में 6 प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनी जिसमें कुल 80 महिलाएं विधानसभाओं में चुनकर गई थी। वैश्विक मंत्री और उपाध्यक्ष का पद भी उन्हें मिला। इस संख्या ने विश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त कर चुका था।

संविधान निर्माण में भी महिलाओं की सहभागिकता अहम रही जिसमें प्रसिद्ध महिलाओं में लीला रे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हँसता मेहता, दुर्गाबाई, सुचिता कृपालानी, रेणूका रे, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी उल्लेखनीय थी। आजादी के बाद महिलाएं उच्च पदों को प्राप्त करने लगी। अतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल मुख्यमंत्री इत्यादि सभी ने महिलाओं की समान भागीदारी है।

इन्दिरा गांधी ने 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है और इस समय राष्ट्रपति पद पर श्रीमति द्रोपदी मुर्मु जो आदिवासी समाज से आती है। आजादी के तुरन्त बाद बनाए गए देश के संविधान में राजनीति को लेकर महिलाओं को न केवल पुरूषों के समान वोट देने का अधिकार दिया है बल्कि पंचायत से लेकर संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया।

इस प्रकार पंचायतराज व्यवस्था में सभी जन–प्रतिनिधि मंचों पर कम से कम एक तिहाई सदस्यता के साथ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। जन प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक/तिहाई सदस्यता महिलाओं के लिए आरक्षित कर देने से समाज में पुरूष एवं महिला की बराबरी का सोच तेजी से बदल रही है।

महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार हुआ उनकी अपने आपके प्रति छवि सुधारी है। वे अपनी ही निगाहों में ऊँची उठी हैं। समाज में महिलाएं संबंधी मुद्दों पर विशेष बल दिया जाने लगा है। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार बल–प्रयोग आदि के विरोध की जागरूकता बढ़ी; बल्कि बालिका शिक्षा को बल मिला है। जहाँ महिला मतदाताओं की इज्जत बढ़ी है, किन्तु विडम्बना यह है कि संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी एक/तिहाई करने का बिल सन् 1998 से ही लम्बित है जो पुरूष–प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण निर्णय का एक ठोस प्रकरण है।

भारत में पिछले 57 वर्ष में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत होते जाने तक महिलाओं में बढ़ रही चेतना के फलस्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने प्रयत्न तो चलते रहे है किन्तु आधारभूत परिवर्तन सन् 1994 में संविधान में 73 एवं 74 वां संशोधन कर पंचायती राज कानून लागू करने से आया है। जिसमें पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है। अब हर पंचायत में 1/3 महिला पंच है अर्थात् देश की 2,25,000 पंचायतों में 7,50,000 महिला सदस्य है तथा 75,000 महिला सरपंच है। हर पंचायत समिति में 1/3

प्रतिशत (17000) सदस्य महिलाएँ है तथा 1/3 प्रतिशत पंचायत समितियाँ में 1/3 (1700 महिलाएं) प्रधान महिलाएं है। इसी तरह जिला परिषदों में 1/3 (1583) सदस्य महिलाएँ तथा 1/3 (158 महिलाएं) जिला प्रमुख है।

भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक रूप से शिक्षा तक सीमित पहुँच रही है, जिस कारण राजनीति में उनकी सहभागिकता को बाधित किया गया। हालांकि वर्तमान में कुछ सुधार आवश्यक हुए है। फिर भी बहुत सी महिलाओं में अभी भी राजनीति पद पर कार्य कर सकने हेतु आवश्यक शिक्षा एवं कौशल की कमी है। भारत में महिलाओं का साक्षरता दर प्रतिशत है। भारतीय महिलाओं को राजनीति के प्रति रूचि कम ही है इस कारणवंश : उनका राजनीति दलों में प्राय प्रतिनिधित्व भी कम रहा जिससे उनके लिये अपने दलों में विभिन्न पदों पर पहुँचना और आगे बढ़ना और चुनाव में दल का नामाकंन प्राप्त करना मुश्किल व कठिन हो जाता है। राजनीति में सुरक्षित एवं समावेशी अवसर की कमी ने महिलाओं की भागीदारी के मार्ग में बाधा पहुँचाई है।

संक्षेप में अपेक्षा की जाती है कि भारत वर्ष 2030 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जाएगा। **अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, (IMF) के अनुसार,** भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1. 6 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत की दर से विकास करेगी। लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी अभी तक पुरूषों के अनुरूप गति नहीं पा सकी है, हाल के समय में भारतीय चुनावों में एक आश्चर्य जनक व्यतिरेक दिखाई पड़ा है। देश में महिला मतदाताओं द्वारा मतदान में वृद्धि हुई है जहाँ वर्ष 2022 में सम्पन्न हुए चुनावों में आठ में से सात राज्यों में महिला मतदानों में उछाल देखा गया। यह स्थिति आशाजनक प्रतीत होती है, लेकिन स्थानीय चुनावों, राज्य चुनावों और लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का यह बढ़ता अनुपात स्वयं महिलाओं द्वारा वृहत रूप से चुनाव लड़ने के रूप में परिलक्षित नहीं हुआ है। इस परिदृश्य में, राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करना समय की मांग रही हैं। लैंगिक समता प्राप्त करने के लिये यह सुनिश्चित होना आवश्यक है, कि महिलाओं का राजनीति में भाग लेने को समान अवसर मिले, नीति निर्माताओं नागरिक समाज संगठनों और आम जनता को मिलकर कार्य करना होगा।

साहित्यावलोकन :– गुप्ता आलोक कुमार भण्डारी ने **''महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी''**, 2001 में उल्लेखित है कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर जब तक उन्हें निर्णय–निर्माण संस्थाओं में भागीदार नहीं बनाया जायेगा तब तक राजनीतिक को स्वच्छ आधार प्रदान करना सम्भव नहीं होगा। जब तक देश की आधी शक्ति का राजनीति और प्रशासन में प्रवेश नहीं होगा तब तक राजनीति को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता।

Bavishakr B.S., Mathew Gorge, "Inclusion and Exclusion in Local Government L: Field Sduties from Rural india 2009", में राष्ट्रीय स्तर का शोध कार्य किया गया यह स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

एवं सशक्तिकरण से सम्बन्धित है। इस शोध द्वारा यह बताया गया कि क्षेत्रीय अध्ययन विविध ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं भागीदारी का सूक्ष्म अध्ययन करते है।

सिंघल विपिन कुमार, ''भारत में महिला सशक्तिकरण : समस्याएँ एवं चुनौतियों, 2017'' आनुभाविक अध्ययन के माध्यम से इसमें महिला विकास के सक्षम उपस्थित सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं एवं महत्वपूर्ण चुनौतियों को उल्लेखित किया गया है। महिलाओं को विभिन्न स्तर पर भागीदार बनाए जाए।

कुमारी अर्चना, ''भारत में महिलाओं का राजनीतिक नेतृत्व : विविध आयाम '' (2015), महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सम्पूर्ण समाज के लिए आवश्यक माना गया। साथ ही महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और आत्मविश्वास के साथ आगे आये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- एम०एन० श्रीनिवास, ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन'', राजकमल प्रकाशन, 1927, 2019 संस्करण पृ०सं० 52
- अभयप्रसाद सिंह (संपादन), ''भारत में राष्ट्रवाद'', ओरियण्ट ब्लैकस्वॉन, 2014, 2019 संस्करण पृ०सं० 123
- डॉ० आराधना, ''राष्ट्रीय संचेतना और मुक्ति संग्राम'', ए०आर० पब्लिशिंग कम्पनी दिल्ली संस्करण 2015 पृ०स० 11–91
- आदित्य नारायण सिंह (अनुवादक), के०एन० पणिक्कर, ''ओपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक और विचारात्मक संघर्ष'', ग्रन्थ शिल्पी, संस्करण 1995, 2003, पृ०स० 182
- महेश प्रसाद श्रीवास्तव, ''विदेशी भूमि पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम'', राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, संस्करण 2009, पृ०सं० 30,43,126
- बिपन चन्द्र (अनुवाद) एन०ए० खान 'शाहिद', ''भारतीय का राष्ट्रीय आन्दोलन दीर्घकालिक गतिशीलता, अनमिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा०) लि० संस्करण 2014 पृ०,स० 7, 14
- ममता महरोत्रा, महिला अधिकार और मानव अधिकार
- डॉ० महेन्द्र कुमार मिश्रा, महिलाओ के कानूनी अधिकार
- मधाके सुजाता, 'मीडिया और महिला सशक्तिकरण', योजना अक्टूबर 2001
- डॉ० कु० कुमुदिनी 'पंचायतीराज और महिला नेतृत्व', अप्रैल 2022
- महिला सबलीकरण परीक्षा मंथन, समसामयिक निबंध 2001
- डॉ० आर०एल० राठी 'सामाजिक न्याय एवं भारतीय महिलायें', प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2022

- सक्सैना किरन 'वमून एण्ड पोलिटिक्स, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
- चौबे देवेन्द्र 'भारतीय समाज में स्त्री और सत्ता में भागीदारी', प्रकाशन मंत्रालय भारत सरकार